कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन

मध्य प्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.) . 462001

दूरभाष : 0755-2665385, ई-मेल : cfdamp@rediffmail.com, fdampbhopal@gmail.com

क्रमांक–11/प्राविजा/22/2020/3270 भोपाल दिनांक 05/07/2021

//आदेश//

श्री शिवराज पावक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, होशंगाबाद को "मिलावट से मुक्ति अभियान" अतर्गत गूगल डाटा शीट पर होशंगाबाद जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की पृथक–पृथक जानकारी अंकित न किए जाने तथा अभियान अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही न करने के कारण प्रशासन के आदेश क्रमांक 11/प्राविजा/22/2021/5656, दिनांक 09.11.2020 को निलंबित किया गया था। तदोपरांत इस प्रशासन के आदेश क्रमांक 11/प्राविजा/22/2021/382, दिनांक 19.01.2021 के द्वारा श्री पावक को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र के साथ अरोप पत्रादि जारी किये गये थे। उक्त आरोप पत्र में श्री शिवराज पावक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, होशंगाबाद के विरूद्व निम्नलिखित आरोप अधिरोपित किये गये :–

<u>आरोप कमांक 1</u>– इस प्रशासन द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान तथा व्हाट्सअप ग्रुप पर वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, संयुक्त नियंत्रक तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश के द्वारा दिनांक 07.11.2020, 10.11.2020, 16.11.2020 एवं 17.11.2020 को प्रतिदिन गूगल शीट पर कार्यवाही मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत की जा रही कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे, किन्तु आपके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद मुख्यालय द्वारा जारी गूगल शीट पर पृथक–पृथक जानकारी अंकित नहीं की गई एवं आपके द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।

2. उक्त आरोप पत्र के संदर्भ में श्री शिवराज पावक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.06.2021 को निम्नानुसार उत्तर प्रस्तुत किया गया :–

"1. यह कि आरोप पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर निलंबन एवं आरोप पत्र जारी करना पूर्णत गलत होकर विधिविरूद्ध किया गया है एवं उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।

Scanned with CamScanner

2. यह कि मुझ पर गलत तथ्यों के आधार पर, होशंगाबाद की राजनीति व मिलावट खोर व्यापारियों के दबाब में कार्यवाही की गई है।

3. यह कि मेरे द्वारा मिलावट मुक्ति अभियान में कलेक्टर सर होशंगाबाद के निर्देशन में लगातार जाँच कार्यवाही की जा रही थी। होशंगाबाद में दिनांक 09.11.2020 से लगातार समस्त कार्यवाही कलेक्टर महोदय होशंगाबाद के निर्देशों के पालन में की गई है।

❖ प्रकरण के वास्तविक/विधिक तथ्य निम्न हैः–

1. यह कि तात्कालिक समय में मुझे कलेक्टर महोदय होशंगाबाद ने दिनांक 07.11.2020 को आर0ओ0 बैठक में व टी0एल0 बैठक दिनांक 23.11.2020 में मौखिक निर्देश जारी किये थे कि "खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जिला प्रशासन की टीम/एसडीएम के निर्देशन में ही कार्यवाही करना है, अकेले कार्यवाही नहीं करेगें है" ––– इस प्रकार के मौखिक निर्देशों की सूचना समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों होशंगाबाद द्वारा उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन होशंगाबाद को लिखित दिनांक 07.11.2020/ 23.11.2020 को दी है।
2. यह कि मेरे द्वारा तात्कालिक समय में प्रभावी कार्यवाही हेतु होशंगाबाद एसडीएम महोदय व अन्य अधिकारियों से लगातार संपर्क किया था, दीपावली 2020 के अवसर पर तात्कालिक एसडीएम होशंगाबाद द्वारा रात्रिकाल में, कलेक्टर महोदय होशंगााबाद के निर्देशों के हवाला देकर रात्रि में कार्यवाही करने के मना कर दिया था, ऐसे ही मुझे अभिहित अधिकारी होशंगाबाद द्वारा भी कलेक्टर महोदय के मौखिक निर्देश मानने के लिये कहा गया तथा तात्कालिक प्रभारी एडीएम सर के निर्देश उपरोक्तानुसार ही थे। इस प्रकार कलेक्टर महोदय होशंगाबाद ने पूरे माह NOVEMBER 2020 नें मुझे स्वतंत्र रूप से कोई कार्यवाही नहीं करने दी गई थी। उपरोक्त समस्त अधिकारियों की मेरे साथ हुई चर्चा व उनके निर्देश की मोबाइल वाईस रिकार्डिंग मेरे पास सुरक्षित है। यदि आवश्यकता हुई तो प्रकरण में पेश करने के विधिक अधिकार सुरक्षित रखता हूँ।
3. यह कि म0प्र0 के समस्त जिलों का दिनांक 09.11.2020 से 30.11.2020 तक के आंकड़े देखे जाये तो रेग्युलेटरी नमूने में ग्वालियर 112, जबलपुर 110, इन्दौर 100, होशंगाबाद 72, उज्जैन 58, सागर 46, शहडोल 21, रीवा 37, मुरैना 63 इत्यादि स्थिति है, अन्य सभी जिलो के आंकड़े अति न्यून है। जिसमें कई जिलों ने कुल 10 से 20 तक का भी आंकड़ा पार नहीं किया था। ऐसी स्थिति आनुपातिक रूप से कम नमूना कार्यवाही का मिलावट मुक्ति अभियान में प्रभावी कार्यवाही न करना गलत है।

Scanned with CamScanner

4. सी एम वी सी दिनांक 09.12.2020 तक 75/142 नमूने होशंगाबाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिये जा चुके थे। जिसमें 02 एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। एक प्रकरण रासुका की कार्यवाही में माननीय कलेक्टर महोदय के कोर्ट में लंबित था।

5. यह कि सर्विलियेंस नमूनों के लिये MFTL होशंगाबाद संभाग व जिले को आवंटित नहीं होने से सर्विलेंस नमूनें MFTL न आने के कारण नहीं हो सके है। जिसमें मुझ एफएसओ का कोई दोष नहीं है।

6. मैजिक बॉक्स से लगातार नमूने लिये गये।

   - मैजिक बॉक्स नमूने का कोई टारगेट फिक्स नहीं था।
   - मिलावट मुक्ति अभियान में कार्यवाही करने के लिये प्रति एफएसओ का कोई टारगेट फिक्स नहीं।
   - MFTL होशंगाबाद संभाग को आवंटित ही नहीं थी।

   ऐसी स्थिति में प्रभावी कार्यवाही नहीं करने का आरोप पूर्णतः मिथ्या व आधारहीन है।

7. माननीय मुख्यमंत्री जी के मिलावट मुक्ति अभियान के आदेश दिनांक 09.11.2020 व माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 13.11.2020 को दिये निर्देशों के पालन में प्रथमतः

   - आदेशानुसार जिला प्रशासन को टीम बनाकर ठोस कार्यवाही करने को कहा गया है। ना कि मुझे।
   - केवल बड़े मिलावटखोरों को खोज खोजकर कार्यवाही करनी है। छोटे दुकानदारों को मिलावट के प्रकरणों में अनावश्यक परेशान नहीं किया जाये।

   के पालन में माननीय कलेक्टर महोदय होशंगाबाद द्वारा सीईओ/एडीएम व एसडीएम तहसील का पृथक–पृथक दल बनाकर कार्यवाही कराई है।

8. कलेक्टर महोदय होशंगाबाद ने दिनांक 07.11.2020 को आर0ओ0 बैठक में व टी0एल0 बैठक दिनांक 23.11.2020 में मौखिक निर्देश जारी किये थे कि "खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जिला प्रशासन की टीम/एसडीएम के निर्देशन में ही कार्यवाही करना है, अकेले कार्यवाही नहीं करेगें है" ---- इस प्रकार के मौखिक निर्देशों की सूचना समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों होशंगाबाद द्वारा उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन होशंगाबाद को लिखित दिनांक 07.11.2020 / 23.11.2020 को दी है ।

Scanned with CamScanner

9. यह कि मेरे द्वारा तात्कालिक समय में प्रभावी कार्यवाही हेतु होशंगाबाद एसडीएम महोदय व अन्य अधिकारियों से लगातार संपर्क किया था, दीपावली के अवसर पर तात्कालिक एसडीएम होशंगाबाद द्वारा रात्रिकाल में, कलेक्टर महोदय होशंगाबाद के निर्देशों के हवाला देकर रात्रि में कार्यवाही करने के मना कर दिया था, ऐसे ही मुझे अभिहित अधिकारी होशंगाबाद द्वारा भी कलेक्टर के अविधिक निर्देश मानने के लिये कहा गया तथा तात्कालिक प्रभारी एडीएम सर के निर्देश उपरोक्तानुसार ही थे। इस प्रकार कलेक्टर महोदय होशंगाबाद ने पूरे माह NOVEMBER 2020 में मुझे स्वतंत्र रूप से कोई कार्यवाही नहीं करने दी गई थी। उपरोक्त समस्त अधिकारियों की मेरे साथ हुई चर्चा व उनके निर्देश की मोबाइल रिकार्डिंग मेरे पास सुरक्षित है। यदि आवश्यकता हुई तो प्रकरण में पेश करने के विधिक अधिकार सुरक्षित रखता हूँ। उपरोक्तानुसार दिये गये समस्त निर्देशों के पालन में होशंगाबाद जिलें में दिनांक 10.11.2020, 11.11.2020, 16.11.2020, 17.11.2020, 18.11.2020, 22.11.2020 कुल 06 दिनांको को केवल एसडीएम के निर्देशों पर कार्यवाही की गई। अन्य दिवसों में कोई कार्यवाही नहीं करने दी गई है। जिसमें मेरा कोई दोष नहीं है।
10. उपरोक्त 06 दिवसों में भी होशंगाबाद के चुनिंदा बडे–बडे मिलावटखोरो पर कार्यवाही की गई। किसी गरीब या छोटे व्यापारी को परेशान नहीं किया है। जिसमें टीम द्वारा दिनांक 09.11.02020 तक संयुक्त टीम द्वारा 75 नमूने, 2 एफआईआर, 105 मैजिक बॉक्स नमूने, 126 निरीक्षण, 50 सुधार सूचना पत्र जारी कर चुके है, एक प्रकरण तात्कालिक समय में रासुका के लिये भेजा गये है। व्यकितगत रूप से मेरे 15 नमूने, 60 निरीक्षण, 70 सर्विलियंस नमूने लिये गये है। मात्र 06 दिवस ही हमे कार्यवाही करने दी है। अन्य दिवसों में नमूना कार्यवाही नहीं करने में मेरा कोई दोष नहीं है। सक्षम प्राधिकारी स्वयमेव जबाबदार है।
11. यह कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार ––––वास्तविक मिलावट खोरों पर जिला प्रशासन के निर्देशों में प्रभावी कार्यवाही की है, मात्र आकडें बढानें के लिये छद्म दिखावटी कार्यवाही नहीं की गई है।
12. यह कि मेरे द्वारा जिला प्रशासन के निर्देशन में प्रभावी कार्यवाही की है––––––मात्र टारगेट प्राप्ति की छद्म दिखावटी कार्यवाही न कर ––––– दक्षतापूर्ण प्रभावी नमूना कार्यवाही की है जिसमें 02 प्रकरण में एफआईआर हो चुकी है व एक प्रकरण रासुका लगाने की प्रकिया में था।
13. यह कि विभाग के सरकुलर कमांक/3/खाद्य/2/13219/1060 दिनांक 27.02.2020 के अनुसार ––––– प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष 70 नमूने लेने का आदेश है। इस प्रकार प्रतिमाह 06 नमूने लेने का आदेश जारी है। उक्त आदेश के पालन में भी, मेरे द्वारा माह नंबम्बर 2020 में 14 नमूने लिये गये है, जो टारगेट से बहुत ज्यादा है। वही

Scanned with CamScanner

- मैजिक बॉक्स नमूने का कोई टारगेट फिक्स नहीं था।
- मिलावट मुक्ति अभियान में कार्यवाही करने के प्रति एफएसओ कोई टारगेट फिक्स नहीं ।
- MFTL होशंगाबाद संभाग को आवंटित ही नहीं थी।

14. यह कि मैं मुख्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी हुँ। मुझ पर नमूना कार्यवाही, निरीक्षण कार्यवाही के अतिरिक्त कार्यालय के समस्त कार्य मेरे द्वारा संपादित किये जाते है जिसे न्यायालयीन कार्य, लायसेंस जारी करना, पंजीयन जारी करना, अपील कार्य, धारा 46.4 कार्यवाही, कार्यालय रिकार्ड मेंटेंन, नमूना पंजी, अभियोजन पंजी, जिला कार्यालयों से पत्राचार, मुख्यालय भोपाल से पत्राचार, जिला कार्यालयों से आवश्यक समन्वय स्थापित करना, लिपिक वर्गीय, चपरासी के कार्य, इत्यादि कार्य मेरे द्वारा संपादित किये जाते है ऐसी परिस्थिति में कार्य का अधिभार होने पर भी प्रभावी कार्यवाही की है।
15. महोदय जी उपरोक्तानुसार विपरीत परिस्थितियों के होते हुये, विपरीत फील्ड समन्वय, व्यापारिक प्रतिरोध के बाद भी प्रभावी कार्यवाही की है,।
16. यह कि होशंगाबाद जिले में इस वर्ष में जनवरी से अक्टूबर 2020 तक, जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक की गई कार्यवाही के आकडें संलग्न कमांक– 4, 5 है। जिसें केवल दो खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम द्वारा कार्य किया गया है। उक्त आकडों से भी अनुमान लगाया जा सकता है जिले में प्रभावी दक्ष, अधिक अधिक से नमूना कार्यवाही करता हूँ। आकडे प्रमाण हेतु संलग्न कमांक– 4, 5 है।
17. यह कि नंबम्बर माह 2020 में होशंगाबाद जिले में तीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यरत थे। नमूने लेने की जबाबदारी तीन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों पर बराबर थी। फिर भी टारगेट बनाकर मिलावट खोर व्यापारियों के दबाब में सुनियोजित षडयंत्र के साथ केवल मुझे निलंबित किया गया है। जबकि जिले में अन्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी पदस्थ थे। उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। केवल एससी एसटी के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को टारगेट बनाकर निलंबित किया गया है। इस प्रकार मुझे समाज विशेष का होने के कारण भी व्यापारियों के दबाब में सुनियोजित षडयंत्र के साथ केवल मुझे निलंबित कर आरोप पत्र जारी किया गया है। जिसके कारण मै मानसिक अवसाद, एवं आत्म ग्लानि से गुजर रहा हूँ तथा अत्यंत दुखी हूँ। तात्कालिक समय में म0प्र0 के कई जिलो की नमूना कार्यवाही जिला होशंगाबाद से भी अतिन्यून थी, उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। केवल मुझे उपराक्तानुसार प्रताड़ित किया गया है। जिसके कारण मै मानसिक अवसाद ,एवं आत्म ग्लानि से गुजर रहा हूँ तथा अत्यंत दुखी हूँ।

Scanned with CamScanner

इस प्रकार मुझ पर अरोप पत्रानुसार मिलावट मुक्ति अभियान में प्रभावी कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाना गलत, निराधार, असत्य है। मेरे द्वारा प्रभावी कार्यवाही की है। अन्य अधिकारियों ने व्यापारियों के दबाब में मुझे स्वतंत्र रूपसे कार्यवाही नहीं करने दी है। जिसमें मेरा कोई दोष नहीं है । कृप्या आरोप निरस्त करने का कष्ट करे ।

2//

गूगल शीट पर जानकारी न भेजने का आरोप लगाना भी पूर्णतः गलत है। मेरे द्वारा मुख्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करते हुये प्रति दिवस जानकारी गूगल शीट पर भेजी गई थी। जिला होशंगाबाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा टीम में काम किया जा रहा था एवं मैजिक बॉक्स भी एक ही आबंटित होने के कारण, टीम में कार्य कर मुख्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की गूगल शीट पर जानकारी भरी जा रही थी। बाद में मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के संज्ञान में आने के उपरांत ही निर्देशों के पालन में मेरे द्वारा पृथक से जानकारी गूगल–शीट पर भरी जा रही थी। पूर्व की भी जानकारी पृथक–पृथक मुख्यालय भोपाल के प्रभारी अधिकारी को नोट करा दी गई है।

यथासमय निर्देशो का संज्ञान समय पर नहीं आने के कारण पृथक–पृथक जानकारी नहीं भेजी जा सकी। जिसमें मेरा कोई दोष नहीं है। संज्ञान में आने के बाद से लगातार जानकारी गूगल शीट पर भेजी जां रही थी । इस संबंध में कोई लिखित निर्देश/आदेश भी मुझे प्राप्त नहीं है ।

महोदय जी निर्देश का संज्ञान समय पर नहीं होने के कारण, जानकारी गूगल शीट पर नहीं भरी गई, जिसमें मेरा कोई दोष नहीं है ।

इस प्रकार महोदय जी, गूगल शीट पर जानकारी न भरने का आरोप लगाना भी गलत, है। निरस्त करने का कष्ट करे तथा प्रार्थना है कि जारी किया गया आरोप पत्र कमांक–11/प्राविजा/22/2020/382 दिनांक 19.01.2021 बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण निरस्त करने का कष्ट करे तथा अकारण ही मुझे निलंबित करके रखा गया है, अकारण ही मुझे शासन का कार्य करने से रोका गया है। इस कारण निलंबन आदेश भी जारी दिनांक से ही निरस्त करने की कृपा करे। आपकी अतिकृपा होगी।"

3. अपचारी कर्मचारी श्री शिवराज पावक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को वर्चुअल मीट (गूगल मीट) के माध्यम से दिनांक 01.07.2021 को समक्ष में पुनः सुना गया। सुनवाई के दौरान उन्होंने उन्हीं तथ्यों को दोहराया जिसका उल्लेख उनके द्वारा आरोप पत्र के उत्तर में दिया गया था।

संपूर्ण प्रकरण का परीक्षण किया गया, परीक्षण उपरांत यह पाया कि श्री शिवराज पावक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता व लापरवाही बरती गई है। उनके द्वारा तत्समय होशंगाबाद जिले की पृथक–पृथक कार्यवाही का डाटा का अंकन

Scanned with CamScanner

गूगल शीट पर नहीं किया जा रहा था। साथ ही अभिलेखानुसार यह भी पाया गया कि होशंगाबाद सर्विलेंस एवं कुल नमूनों की श्रेणी में न्यूनतम कार्यवाहियां की गई थी। अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने प्रत्योत्तर में यह लेख किया किया गया था कि उनके संभाग हेतु चलित प्रयोगशाला नहीं थी, किन्तु वे मेजिक बॉक्स के माध्यम सर्विलेंस के नमूने अधिक संख्या में लिए जा सकते थे।

अतः उपरोक्त कारणों से श्री शिवराज पावक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश सिविल आचरण नियम, 1965 के नियम 3 (क)(क), 3(क)(ग) के अंतर्गत दोषी हैं। इस प्रकार के किए गए कृत्य के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) एक वेतन वृद्धि असंचीय प्रभाव से रोकी जाती है। चूंकि प्रकरण गंभीर अपराध यथा गबन, नैतिक पतन का नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपचारी कर्मचारी की निलंबन अवधि को समस्त प्रयोजन हेतु सेवा में व्यतीत अवधि के रूप में मान्य की जावेगी, परन्तु निलंबन अवधि के दौरान की अवधि का वेतन No Work No Pay के सिद्धांत के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि अपचारी कर्मचारी श्री शिवराज पावक को नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य वेतन प्राप्त नहीं होगा। तदानुसार प्रकरण समाप्त किया जाता है।

(पी.नरहरि) IAS
~~अनुशासनात्मक प्राधिकारी~~/
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा
एवं नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

क्रमांक : 11/प्राविजा/22/2020/3271

भोपाल, दिनांक 05/07/2021

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।

Scanned with CamScanner

3. कलेक्टर जिला होशंगाबाद/सागर/राजगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पदेन उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला होशंगाबाद/सागर/राजगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मु. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला होशंगाबाद/सागर/राजगढ़ की ओर सूचनार्थ।
7. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. शाखा, मु.– भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
8. श्री शिवराज पावक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सागर की ओर पालनार्थ।
9. खाद्य शाखा/स्टोर/स्थापना–1,2,3 मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।।

अनुशासनात्मक प्राधिकारी/
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा
एवं नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner

कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन

मध्य प्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.) . 462001

दूरभाष : 0755-2665385, ई-मेल : cfdamp@rediffmail.com, fdampbhopal@gmail.com

क्रमांक–11 / प्राविजा / 22 / 2020 / 3272 भोपाल दिनांक 05/07/2024

/ / आदेश / /

श्री शिवराज पावक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, होशंगाबाद को इस प्रशासन के आदेश क्रमांक 11 / प्राविजा / 22 / 2021 / 5656, दिनांक 09.11.2020 को निलंबित किया गया था। तदोपरांत इस प्रशासन के आदेश क्रमांक 11 / प्राविजा / 22 / 2021 / 382, दिनांक 19.01.2021 के द्वारा श्री पावक को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र के साथ अरोप पत्रादि जारी किये गये थे। उक्त आरोप पत्र का निराकरण करते हुए श्री शिवराज पर दण्डादेश जारी कर प्रकरण समाप्त किया गया है। अस्तु श्री शिवराज पावक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निलंबन से बहाल करते हुए कार्यालय उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला – राजगढ़ में पदस्थ किया जाता है।

(पी.नरहरि) IAS
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा
एवं नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

निरन्तर....2

Scanned with CamScanner

कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन

मध्य प्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.) . 462001

दूरभाष : 0755-2665385, ई–मेल : cfdamp@rediffmail.com, fdampbhopal@gmail.com

क्रमांक : 11/प्राविजा/8/2020/ 3273

भोपाल, दिनांक 05/07/2021

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. महालेखाकार, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला होशंगाबाद/सागर/राजगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पदेन उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला होशंगाबाद/सागर/राजगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी अधिकारी, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, म.प्र., ईदगाह हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मु. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. जिला कोषालय अधिकारी जिला होशंगाबाद/सागर/राजगढ़ की ओर सूचनार्थ।
9. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. शाखा, मु.– भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
10. श्री शिवराज पावक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सागर की ओर पालनार्थ।
11. खाद्य शाखा/स्टोर/स्थापना–1,2,3 मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा
एवं नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner